MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMEOPATHY (AYUSH)
GOVERNMENT OF INDIA
AYUSH BHAWAN,B-BLOCK,INA, NEW DELHI-23

Last Date for Application – 30.01.2015

Financial Assistance to Scientist and Research & Development Institution, University/Institutional Departments & GMP Complaint Industries of ASU & H drugs both in Govt. & Pvt. Sector in Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha, Sowa Rigpa and Homoeopathy under Extra Mural Research Scheme.

The Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH) has been providing Financial Assistance to Institutions/Universities/GMP Complaint Industries of ASU & H drugs under the Scheme for Extra-Mural Research (EMR), to undertake Research & Development in AYUSH Systems. The Ministry has taken up a series of programme/interventions wherein evidence based support for the efficacy claims, safety, quality control and consistency of products are very much needed. The EMR Scheme has, therefore, been re-designed and the institutions interested to avail of such financial support may visit our website for more details and guidelines of the scheme and submit their proposals between 1st January, 2015 to 30th January, 2015.

Website:www.indianmedicine.nic.in

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

भारत सरकार

आयुष भवन, बी-ब्लॉक, आईएनए, नई दिल्ली-23

आवेदन की अंतिम तिथि - 30.01.2015

बहिर्वर्ती अनुसंधान स्कीम के अंतर्गत आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी में सरकारी एवं निजी, दोनों क्षेत्रों में वैज्ञानिकों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों/संस्थानिक विभागों एवं उत्तम विनिर्माण पद्धतिका अनुपालन करने वाले एएसयू एवं एच औषध उद्योगों को वित्तीय सहायता।

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय, आयुष पद्धतियों में अनुसंधान एवं विकास आरंभ करने के लिए, बहिर्वर्ती अनुसंधान स्कीम के अंतर्गत संस्थानों/विश्वविद्यालयों/जीएमपी अनुपालना वाले एएसयू एवं एच औषध उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। मंत्रालय ने कार्यक्रमों/उपचारों की श्रृंखला आरंभ की है, जिसमें प्रभावकारिता दावों के लिए साक्ष्य आधारित समर्थन, सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पादों की निरंतरता अति आवश्यक है। इसलिए ईएमआर स्कीम को पुन: अभिकल्पित किया गया है और जो संस्थान उक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, वे स्कीम के विस्तृत विवरण और दिशा-निर्देशों के लिए हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और 01 जनवरी, 2015 से 30 जनवरी, 2015 के मध्य अपने प्रस्तावों को जमा करवासकते हैं।

वेबसाइट : www.indianmedicine.nic.in